28.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान—न्याय आपके द्वार 2018 मे अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होनें पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी की आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया,पत्रावली एवं सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदारान है। और अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें चाहते हैं। और विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपर्ति नहीं होगी। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किये जानें योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत ओदश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सिणधरी चौसिरा)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 33/2018

प्रार्थीगण

1. पोकराराम पुत्र मांगाराम
2. खुमाराम पुत्र मांगाराम
3. अणसी पत्नी मांगाराम
4. हेमाराम पुत्र राणाराम
5. पूंजाराम पुत्र राणाराम
6. होतीराम पुत्र राणाराम
7. रूपाराम पुत्र राणाराम
8. सोनी पत्नी राणाराम

जाति रबारी निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. आंबाराम पुत्र सताराम
2. खेताराम पुत्र मगाराम
3. हेमी पत्नी मगाराम
4. मांगीलाल पुत्र तुलसाराम
5. उमाराम पुत्र तुलछाराम
6. खीमाराम पुत्र तुलछाराम
7. धोपेन्द्र कुमार पुत्र जालाराम
8. महीपाल पुत्र जालाराम
9. जीयाराम पुत्र मेहराराम
10. कोहलाराम पुत्र मेहराराम
11. मलाराम पुत्र खेराजराम
12. मुलाराम पुत्र खेराजराम
13. पुराराम पुत्र खेराजराम
14. चैनाराम पुत्र खेराजराम
15. रूपों पत्नी खेराजराम

    जाति जाट निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
16. कानाराम पुत्र रूपाराम

    जाति रबारी निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी
17. मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह
18. मलसिंह पुत्र दीपसिंह
19. समदू कंवर पत्नी दीपसिंह

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

20. डुंगरसिंह पुत्र मानसिंह
21. हुकमसिंह पुत्र मानसिंह
22. जबरसिंह पुत्र मानसिंह
23. मालमसिंह पुत्र मानसिंह
जाति राजपूत निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी
24. अमरसिंह पुत्र तेजसिंह
25. मसरसिंह पुत्र तेजसिंह
26. मंगसिंह पुत्र तेजसिंह
27. मथरें कवंर पत्नी तेजसिंह जाति वजीर निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी
28. नेमाराम पुत्र भूराराम
जाति घांची निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी
29. किशोरसिंह पुत्र भुरसिंह
जाति राजपूत निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी
30. हेमीदेवी पत्नी जेठाराम
जाति जाट निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी
31. बुधाराम पुत्र राणाराम
जाति भील निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी
32. कमलादेवी पत्नी ओमपुरी
जाति गोस्वामी निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी
33. तहसीलदार सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थितः–1.श्री दलाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण की ओर से।

2.विप्रार्थीगणः–एकतरफा।

आदेश

दिनांक–28 .6.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 115, 115/4, 250/115, कुल रकबा 76–05 बीधा एवं खसरा संख्या 114, 115/1 व 115/3 कुल रकबा 76–05 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 115, 115/4, 250/115, कुल रकबा 76–05 बीधा एवं खसरा संख्या 114, 115/1 व 115/3 कुल रकबा 76–05 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 115, 115/4, 250/115, कुल रकबा 76–05 बीधा एवं खसरा संख्या 114, 115/1 व 115/3 कुल रकबा 76–05 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम नाकोडा पटवार

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 115, 115/4, 250/115, कुल रकबा 76–05 बीधा एवं खसरा संख्या 114, 115/1 व 115/3 कुल रकबा 76–05 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 115, 115/4, 250/115, कुल रकबा 76–05 बीधा एवं खसरा संख्या 114, 115/1 व 115/3 कुल रकबा 76–05 बीघा भूमि का प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 115, 115/4, 250/115, कुल रकबा 76–05 बीधा एवं खसरा संख्या 114, 115/1 व 115/3 कुल रकबा 76–05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार सिणधरी सीमाज्ञान की कार्यवाही नियमानुसार करावें। प्रार्थीगण नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगें। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner